09/02/2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी राज्य की और से पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रामचन्दसिंह भाटी उपस्थित। बहस पक्षकारान के विद्धान काउसेंल की प्रार्थना पत्र पर सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साम्रगी का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत आदेशिका के अधीन निस्तारण किया जा रहा है।

संक्षेप में आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कोलायत ने अप्रार्थीगण सर्व श्री भंवरसिंह पुत्र श्री बुदीदानसिंह, सांगसिंह पुत्र रूपसिंह दोनो की जाति राजपुत व निवासी हाडला भाटियान एवं अनिल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी दुलपुरा तहसील मलसीसर जिला झझनू के विरूद्ध एक आवेदन अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि हल्का पटवारी झझू ने उनके समक्ष दिनांक 20/02/2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर उसमे अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2011/1460 जिसका क्षेत्रफल 5.06 हैक्टर है जो ग्राम रोही झझू तहसील कोलायत मे स्थित है के अप्रार्थीगण सयुक्त खातेदार है। उक्त अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे से लगभग 3.00 हैक्टर भूमि पर अवैध खनन कार्य किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवैध खनन के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिए हुआ है। अतः भूमि को हानि पहुचायी जाने से जमीन जैर प्रार्थना पत्र से अप्रार्थीगण की बेदखली किये जाने एवं आराजी सरकार के पक्ष में रिज्यूम की जाकर सिवाय चक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को नोटिस भिजवाये गये। बाद तामिल नोटिस अप्रार्थीगण का प्रतिनिधत्व श्री रामचन्द्रसिंह भाटी अभिभाषक कर रहे है।

मैने विद्धान अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलखों को बगौर देखा है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

प्रार्थी राज्य की और से उपस्थित पैरोकारराज ने जोर देते हुए यह दलील दी कि चुकि प्रार्थना पत्र में दिये गये प्रकथनों का अप्रार्थीगण मे से किसी ने भी उतर फाइल नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र मे जो प्रकथन किये गये है। उन पर विश्वास किये जावे और इस पूर्व कथित तथ्यों पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावें।

दुसरी तरफ अप्रार्थीगण के विद्वान काउसेल ने निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर मंजूर नही किया जा सकता कि प्रार्थना पत्र में दिये गये प्रकथनों का प्रतिवाद करते हुए कोई उतर फाइल नही किया गया। श्री रामचन्द्रसिंह भाटी अभिभाषक के अनुसार प्रार्थना पत्र में किये गये प्रकथन प्रत्यक्ष रूप से ही गलत है। और स्वयं प्रार्थी द्वारा फाइल किये गये दस्तावेजी साक्ष्य से असंगत है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र समर्थन में ग्राम झझू की सवंत 2073 से 2076 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति व नजरी नक्शा मौका की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है। जो अप्राथीगण क अधिकारों के अभिलेख है। जबकि पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18/02/2019 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की और तहसीलदार द्वारा इस रिपोर्ट को अपने प्रार्थना पत्र के आधार अभिलेख बताया हैं जो सही नही है तथा पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी मनमानी तौर पर रिपोर्ट प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का आधार नही हो सकती। आगे बहस करते हुए अभिभाषक श्री भाटी ने बताया है कि तहसीलदार कोलायत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे ऐसे आधार एवं कारणों का उल्लेख नही है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण की टिनेन्सी को समाप्त कर दिया जावें। प्रार्थना पत्र में निहित भूमि जिस पर अवैध खनन किये जाने की बात तहसीलदार द्वारा की जा रही है। लेकिन स्वयं तहसीलदार ने कोई मौका जॉच नही कि तथा ना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट को अवैध खनन किये जाने की रिपोर्ट को मानने का आधार बताया गया। प्रार्थना पत्र किसी भी शपथ पत्र से समर्पित नही है। मै अभिभाषक की बहस मे सार पाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्पित नही होने से प्रार्थना पत्र में किये गये अभिकथनों पर विश्वास नही किया जा सकता और इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी असफल होता है और एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। आदेश आज्ञा दिनांक 09/02/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर